

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोग्राम,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र सं०: 05-A/IDSP/NP/2016-17/11211

दिनांक: 27/3/2017

विषय : इन्टीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु चतुर्थ किस्त की अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 21फ/सं०रो०/2016-17/4439 दिनांक 27.02.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एफ०एम०आर० कोड संख्या E.1.11 (District Data Manager) एवं E.1.9 (District Epidemiologist) के अन्तर्गत जनपदों में तैनात नवयुक्त कर्मियों के शेष माह के पारिश्रमिक की धनराशि रु० 38.24 लाख की शेष धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

2. उक्त क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एस०पी०आई०पी 2016-17 में अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये जनपदवार, गतिविधिवार फांट के अनुसार आई०डी०एस०पी० के एफ०एम०आर० कोड संख्या E.1.11 (District Data Manager) एवं E.1.9 (District Epidemiologist) के अन्तर्गत जनपदों में तैनात नवनियुक्त कर्मियों पारिश्रमिक की धनराशि रु० 38.24 लाख सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 23.03.2017 को अवमुक्त कर दिया गया है—

INTEGRATED DISEASE SURVEILLANCE PROGRAMME (IDSP) PIP 2016-17				
District wise Proposal of Budget Release of Remuneration of Contractual Human Resource FY 2016-17				
Sl.No.	Name of District	Remuneration of Contractual Human Resource		Total Budget Proposed for Release (Amt in Rs)
		District Data Manager E.1.11	District Epidemiologist E.1.9	
1	Aligarh	0	200000	200000
2	Auraiya	101500	0	101500
3	Azamgarh	101500	0	101500
4	Baghpat	0	200000	200000
5	Ballia	0	200000	200000
6	Bhadohi (St. Ravidas Nagar)	101500	0	101500
7	Chitrakoot	101500	0	101500
8	Farrukhabad	0	200000	200000
9	GB Nagar	101500	0	101500
10	Ghaziabad	101500	0	101500

--2

11	Ghazipur	101500	0	101500
12	Hathras	101500	0	101500
13	Jaunpur	101500	0	101500
14	Kannauj	0	200000	200000
15	Kanpur (Dehat)	101500	0	101500
16	Kanshi Ram Ngr	101500	200000	301500
17	Lalitpur	0	200000	200000
18	Mainpuri	0	200000	200000
19	Meerut	101500	0	101500
20	Pilibhit	0	200000	200000
21	Rampur	101500	0	101500
22	Sant Kabir Nagar	101500	0	101500
23	Shahjahanpur	0	200000	200000
24	Sonbhadra	101500	0	101500
25	Unnao	0	200000	200000
26	Panchsheel Nagar (Hapur)	101500	0	101500
Total		1624000	2200000	3824000

3. अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से एस0पी0एम0यू0 के राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग के साथ समन्वय कर जनपदों को निर्गत करने का कष्ट करें तथा दिशा-निर्देश में वित्तीय सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं को भी समाहित करने का कष्ट करें—

- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।

- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
- मानदेय के मद में अवमुक्त की गयी धनराशि से भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनको वार्षिक मुल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2016-17 के लिए पुनर्अनुबन्धित किया गया हो अथवा वर्ष 2015-16 की पी0आई0पी0 में अनुमोदित पदों के सापेक्ष नई तैनाती की गयी हो। मानदेय में 5% की वार्षिक-वृद्धि उन्हीं संविदा कर्मियों को देय होगी जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,



o/c

(डा0 ए0के0 पाण्डेय)

महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

तददिनांक

पत्र सं0: 05-A / IDSP / NP / 2016-17 / 11211-9

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
4. निदेशक, संक्रामक रोग एवं वी0बी0डी0, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
7. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट—www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र की प्रति सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

o/c

(डा० ए०के० पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

Ar